न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा,

कैम्प कोर्ट –बरना

पीठासीन अधिकारी :– श्री भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः– 36 / 2020

प्राथी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
प्रका”ा भाई नायक पुत्र देव”ांकर नायक जाति भोजक (ब्राहम्ण) निवासी आनन्द सोजितरा रोड़ करमसद जिला आनन्द (गुजरात)		1. घेंवरराम पुत्र पनाराम 2. झूमरराम पुत्र खीयाराम 3. सुरे”ा पुत्र खीयाराम 4. शोभादेवी पुत्री खीयाराम 5. सुनीता पुत्री खीयाराम 6. सुखी पत्नी खीयाराम 7. कुनाराम पुत्र पनाराम जातियान जाट निवासीगण बरना तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थितिः– प्राथी की ओर से :– श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता

अप्रार्थी सं. 1, 6, 7 की ओर सेः– श्री बिरमराम विश्नोई अधिवक्ता

अप्रार्थी सं. 2 से 5 की ओर सेः– श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा अधिवक्ता

अप्रार्थी सं. 8 की ओर से :– सरकारी परोकार

निणय **दिनांकः–02.10.2021**

सक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 14 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी गोरधनराम, घेंवरराम, भीकाराम, भंवरलाल, कुनाराम, दूदाराम, खीयाराम पिसरान पनाराम जातियान जाट निवासीगण बरना तहसील बिलाड़ा की थी। खातेदारों ने आपसी सहमति से भूमि खसरा नम्बर 14 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा का बंटवाड़ा कर लिया, जिसके अनुसार खसरा नम्बर 14 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा घेंवरराम अप्रार्थी संख्या 1 के बंट में रखी गयी तथा खसरा नम्बर 14/3 रकबा 2 बीघा [illegible] बिस्वा [illegible]काराम के बंट में रखी गयी तथा खसरा नम्बर 14/2 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा झूमरराम, सुरे”ा पिसरान खीयाराम,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:36 IST
Reason: SelfAttested

शोभादेवी, सुनीतादेवी पुत्रिया खीयाराम, सुखी पत्नी खीयाराम अप्रार्थी संख्या 2 से 6 के बंट में रखी गयी तथा खसरा नम्बर 14/1 रकबा 16 बिस्वा कुनाराम अप्रार्थी संख्या 7 के बंट में रखी गयी एवं उस बंटवाड़े के अनुसार पक्षकार अपनी अपनी भूमि पर काबिज हो गये। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 14 के तीन भाग किये गये, जिसका दक्षिणी भाग की भूमि खसरा नम्बर 14, 14/2 अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 से 6 की है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के खसरा नम्बर 14, 14/2 के उतरी दि”ाा की ओर प्रार्थी प्रका”ा भाई की खरीदसुदा भूमि खसरा नम्बर 14/3 स्थित है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 14/3 के उतरी दि”ाा की ओर अप्रार्थी संख्या 7 की भूमि खसरा नम्बर 14/1 स्थित है। मौके अनुसार का नजरी नक”ाा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 14/3 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा की खातेदारीसुदा, कब्जासुदा, तरमीम”ाुदा के खातेदार भीकाराम पुत्र पनाराम ने दिनांक 05.08.2019 को प्रार्थी प्रका”ा भाई को बैचान कर दिया। जिसका बैचाननामा के आधार पर राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है तब से प्रार्थी अपनो भूमि पर काबिज का”त है। प्रार्थी अपनी खरीदसुदा, कब्जासुदा, तरमीम”ाुदा खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 14/3 रकबा 0.3883 हैक्टेयर को औद्योगिक प्रयोजनार्थ में कराने हेतु हल्का पटवारी के पास गया और हल्का पटवारी से नक”ाा ट्रेस व जमाबन्दी आदि को देने हेतु का निवदन किया, जिस पर हल्का पटवारी ने राजस्व रेकर्ड ऑनलाईन नक”ाा ट्रेस देखकर प्रार्थी को बताया कि आपकी खातेदारी भूमि को ऑनलाईन नक”ाा में कब्जे से भिन्न स्थान पर तरमीम द”र्ा दी गयी है, फिर भी हल्का पटवारी ने प्रार्थी को कहा कि आप तहसीलदार साहब के पास जाकर सम्पर्क करो, जिस पर प्रार्थी ने तहसोलदार साहब बिलाड़ा के पास जाकर नक”ाा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त करने हेतु का आग्रह किया, जिस पर तहसीलदार बिलाड़ा ने प्रार्थी को बताया कि ऑनलाईन नक”ाा में आपकी तरमीम को भूलव”ा कब्जे से भिन्न स्थान पर द”र्ा दी गयी है, आप सक्षम न्यायालय का आदे”ा लेकर आ जाओ आपकी भूमि की तरमीम ऑनलाईन नक”ो में पुनः सही दर्ज कर दी जायेगी। ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 14/3 रकबा 0.3883 हैक्टेयर का नक”ाा ट्रेस में कब्जे से भिन्न स्थान पर की गयी तरमीम को लेकर भविष्य में विवाद उत्पन्न हो सकता है। अतः कब्जेनुसार तरमीम सं”ाोधन किया जाना आव”यक है। ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा की खसरा नम्बर 14/3 रकबा 0.3883 हैक्टेयर भूमि को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी को नोटिस या सूचना दिये बिना ही उसकी कब्जे से भिन्न स्थान पर तरमीम द”र्ा दी गयी है। मौजूदा मामले में न तो राजस्व रेकर्ड नक”ाा ट्रेस में परिवर्तन करने का किसी न्यायालय का कोई निर्णय या आदे”ा है। अतः हल्का पटवारी को बिना कोई निर्णय या आदे”ा के ही अनाधिकृत तौर से कब्जे से भिन्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:36 IST
Reason: SelfAttested

स्थान पर तरमीम करने का कोई अधिकार नही है। अप्रार्थी संख्या 8 द्वारा राजस्व रेकर्ड नक्”ाा ट्रेस में भूमि खसरा नम्बर 14/3 रकबा 0.3883 हैक्टेयर की भूमि की तरमीम को ऑनलाईन नक्”ाा ट्रेस में कब्जे से भिन्न स्थान पर तरमीम को द”ार्ा दिया है, इस आधार पर की गयी ऑनलाईन तरमीम को नक्”ाा में पुनः सं”ाोधित तरमीम करने का अधिकार माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार के अन्तर्गत का है।

अन्त में प्राथना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 14/3 रकबा 0.3883 हैक्टेयर की नक्शा ट्रेस में दर्ज गलत तरमीम को निरस्त कर पनः नक्शा टस (आनलाईन) में कब्जे अनुसार पनः तरमीम करने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1, 6, 7 की ओर से बीरमराम विश्नोई एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या–2 से 5 की ओर से राजेन्द्रप्रसाद्र बोराणा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या–8 की तरफ से सरकारी पैरोकार उपस्थित हये। अप्रार्थी संख्या–1, 6, 7 ने जवाब पेश किया, पद संख्या–1 प्राथना पत्र का जवाब इस प्रकार है कि ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 14 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा जरूर आयी हई है। जिसकी खातेदारी गोरधनराम, घेंवरराम, भोकाराम, भंवरलाल, कनाराम, दूदाराम, खोंयाराम पिसरान पनाराम जातियान जाट निवासीगण बरना तहसील बिलाड़ा कि थी। खातेदारों ने आपसी सहमति से भूमि खसरा नम्बर 14 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा का बंटवाड़ा कर लिया, जिसके अनुसार खसरा नम्बर 14 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा घेवरराम अप्रार्थी सख्या–1 के बंट में रखी गयी तथा खसरा नम्बर 14/3 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा भीकाराम के बंट में रखी गयी तथा खसरा नम्बर 14/2 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा अप्रार्थी संख्या–2 से 6 के बंट में रखी गयी तथा खसरा नम्बर 14/1 रकबा 16 बिस्वा 1 अप्रार्थी संख्या 7 के बंट मं रखी गयी तथा खसरा नम्बर 14/1 रकबा 16 बिस्वा 1 अप्रार्थी संख्या–7 के बंट में रखी गयी एवं उस बंटवाड़े के अनसार पक्षकार अपनी अपनी भ्मि पर काबिज हो गये। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 14 के तीन भाग किय गये, जिसका दक्षिणी भाग की भूमि खसरा नम्बर 14, 14/2 अप्रार्थी संख्या 1 व प्राथी संख्या 2 से 6 की है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के खसरा नम्बर 14, 14/2 के उतरी दिशा की ओर प्रार्थी की खरीदशुदा भ्मि खसरा नम्बर 14/3 स्थित है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 14/3 के [illegible] दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या–7 की भूमि खसरा नम्बर 14/1 स्थित है। मौके अनुसार का नजरी नक्शा प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया है जो स्वीकार है। [illegible] संख्या–2 प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 14/3 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा की खातेदारी भूमि भोकाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:36 IST
Reason: SelfAttested

को थी। खातेदार भीकाराम ने दिनांक 05.08.2019 को प्रार्थी प्रकाश भाई को बैचान कर दिया एवं भूमि का कब्जा सुपंद कर दिया, जो भूमि का कब्जा प्राथना पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया नजरी नक्शा के अनुसार है जा सही होने से स्वीकार है। पद संख्या–3 प्राथना पत्र का जवाब इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 14/3 रकबा 0.3883 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि को ऑनलाईन नक्शा में कब्जे से भिन्न स्थान पर तरमीम दर्शा दी गयी है जो तरमीम गलत है। पद संख्या–4 प्रार्थना पत्र का सही होने से स्वोकार है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार तरमीम किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।पद संख्या–5 प्राथना पत्र का जवाब इस प्रकार है कि आनलाईन नक्शा जारी करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गयी है। पद संख्या–6 कानूनी है। पद संख्या–7 प्रार्थना पत्र कानूनी ह प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वोकार किया जाता है तो अपार्थी स. 1, 6, 7 को कोई आपति नहीं ह।अन्त में जवाब पेश कर निवदन किया कि गाम बरना तहसोल बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 14, 14/1, 14/2, 14/3 का नक्शा टेस (ऑनलाईन) में कब्जे अनुसार (प्राथना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार) पुनः तरमीम करने का आदेश फरमाया जावें। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या–2 से 5 ने जवाब पेश किया, जो जवाब के पद संख्या–1 प्राथना पत्र का जवाब इस प्रकार है कि ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 14 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा जरूर आयी हई है। जिसकी खातेदारी गोरधनराम, घेंवरराम, भोकाराम, भंवरलाल, कनाराम, दूदाराम, खोंयाराम पिसरान पनाराम जातियान जाट निवासीगण बरना तहसील बिलाड़ा कि थी। खातेदारों ने आपसी सहमति से भूमि खसरा नम्बर 14 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा का बंटवाड़ा कर लिया, जिसके अनुसार खसरा नम्बर 14 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा घेवरराम अप्रार्थी सख्या–1 के बंट में रखी गयी तथा खसरा नम्बर 14/3 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा भीकाराम के बंट में रखी गयी तथा खसरा नम्बर 14/2 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा अप्रार्थी संख्या–2 से 6 के बंट में रखी गयी तथा खसरा नम्बर 14/1 रकबा 16 बिस्वा 1 अप्रार्थी संख्या 7 के बंट मं रखी गयी तथा खसरा नम्बर 14/1 रकबा 16 बिस्वा 1 अप्रार्थी संख्या–7 के बंट में रखी गयी एवं उस बंटवाड़े के अनसार पक्षकार अपनी अपनी भमि पर काबिज हो गये। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 14 के तीन भाग किय गये, जिसका दक्षिणी भाग की भूमि खसरा नम्बर 14, 14/2 अप्रार्थी संख्या 1 व प्राथी संख्या 2 से 6 की है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के खसरा नम्बर 14, 14/2 के उतरी दिशा की ओर प्रार्थी की खरीदशुदा भमि खसरा नम्बर 14/3 स्थित है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 14/3 के उतरी दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या–7 की भूमि खसरा नम्बर 14/1 [illegible] है। जिसके अनुसार का नजरी नक्शा प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया है जो स्वीकार है। पद संख्या–2 प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:36 IST
Reason: SelfAttested

का जवाब इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 14/3 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा की खातेदारी भूमि भोकाराम को थी। खातेदार भीकाराम ने दिनांक 05.08.2019 को प्रार्थी प्रकाश भाई को बैचान कर दिया एवं भूमि का कब्जा सुपंद कर दिया, जो भूमि का कब्जा प्राथना पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया नजरी नक्शा के अनुसार है जा सही होने से स्वीकार है। पद संख्या–3 प्राथना पत्र का जवाब इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 14/3 रकबा 0.3883 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि को ऑनलाईन नक्शा में कब्जे से भिन्न स्थान पर तरमीम दर्शा दी गयी है जो तरमीम गलत है। पद संख्या–4 प्रार्थना पत्र का सही होने से स्वोकार है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार तरमीम किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।पद संख्या–5 प्राथना पत्र का जवाब इस प्रकार है कि आनलाईन नक्शा जारी करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को कोई नोटिस या सचना नहीं दी गयी है। पद संख्या–6 कानूनी है। पद संख्या–7 प्रार्थना पत्र कानूनी ह प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वोकार किया जाता है तो अपार्थी स. 1, 6, 7 को कोई आपति नहीं ह।अन्त में जवाब पेश कर निवदन किया कि गाम बरना तहसोल बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 14, 14/1, 14/2, 14/3 का नक्शा टेस (ऑनलाईन) में कब्ज अनुसार (प्राथना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार) पुनः तरमीम करने का आदेश फरमाया जावें।

अप्राथी संख्या–8 तहसीलदार बिलाडा द्वारा जवाब पेश किया गया, जो जवाब इस प्रकार पेश किया गया कि ....

....

....

......

मौजदा मामले में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी संवत् 2054 से 2057 खसरा नम्बर–14, नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर–14, फोटो कॉपी बैचाननामा भीकाराम बहक प्रकाशभाई नाईक दिनांक 05.08.2019, फोटो कापी शुद्धि पत्र भीकाराम बहक प्रकाशभाई नाईक दिनांक 31.12.2019, फोटो कापी जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 खसरा नम्बर 14/3, खसरा नक्शा खसरा नम्बर 14/3, फोटो कापी जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 खसरा नम्बर 14, खसरा नक्शा खसरा नम्बर 14, फोटो कापी जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 खसरा नम्बर 14/2, खसरा नक्शा खसरा नम्बर 14/2, फोटो कापी जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 खसरा नम्बर 14/1, खसरा नक्शा खसरा नम्बर 14/1 आदि दस्तावेज पेश किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:36 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गयी । प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि कब्जे अनुसार तरमीम की जावे। अप्रार्थी

संख्या 1, 6, 7 के अधिवक्ताा ने बहस में बताया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्राथना न पत्र मं संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार तरमीम की जाती ह तो कोई आपति नहीं है। इसो प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्राथना पत्र स्वीकार किया जाता ह तो अप्रार्थी संख्या 2 से 5 को कोई आपति नहीं ह। सड़क पर सभी पक्षकारान अपनी अपनी भ्मि को रखना चाहते है जो प्रार्थी द्वारा पस्तुत प्राथना पत्र मं संलग्न नजरी नक्शा मं वर्णित भूमि कब्जा अनुसार सही है इसी नक्श के अनुसार प्राथना पत्र स्वीकार किया जावे

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्राथना पत्र के साथ सलग्न दस्तावेज व नक्शा का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर यह विदित होता है कि ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा की सरहद मं स्थित भूमि खसरा नम्बर 14/3 रकबा 0.3883 हैक्टेयर का नक्शा ट्रेस में कब्जे से भिन्न स्थान पर की गयी तरमीम को लेकर भविष्य मं विवाद उत्पन्न हो सकता है। अपाथी संख्या 1 से 7 ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किय गये संलग्न नक्शे में दर्शायी गयी वर्णित भूमि को सही होना स्वीकार किया है। इसी अनुसार मौक पर काबिज होना स्वीकार किया है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वोकार किया जाना योग्य है।

—:आदेशः—

प्रार्थी का प्राथना पत्र स्वोकार कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 14/3 रकबा 0.3883 हैक्टेयर की नक्शा ट्रेस ऑनलाईन में दज गलत तरमीम को निरस्त किया जाता ह तथा ग्राम बरना तहसील बिलाडा की भ्मि खसरा नम्बर 14,14/1,14/2,14/3 का नक्शा ट्रेस ऑनलाईन में कब्जे अनसार (प्राथना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार) पनः तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को दिया जाता है। प्राथना पत्र के साथ संलग्न नजरो नक्शा को इस निणय को अभिन्न अंग समझा जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वय वहन करे। पत्रावली फसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 02.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:36 IST
Reason: SelfAttested